न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 17/2018 नामान्तरकरण अपील

1. नारायणी पत्नि श्री रामहेत
2. रामभरोसी पुत्र श्रीनारायण
3. राजेन्द्र पुत्र श्रीनारायण
   जाति मीना निवासी भराव बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा
4. उगन्ती पुत्री श्रीनारायण पत्नि मुकलाल जाति मीना निवासी देलाडी तहसील बसवा जिला दौसा
5. जावत्री पुत्री श्रीनारायण पत्नि मीठा लाल जाति मीना निवासी देलाडी तहसील बसवा जिला दौसा
6. भागन्ती पुत्र श्रीनारायण पत्नि पप्पू जाति मीना निवासी गांगदवाडी तहसील सिकराय जिला दौसा
7. संजया उर्फ संजू पुत्र श्रीनारायण पत्नि रामावतार जाति मीना निवासी गांगदवाडी तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. किस्तुरी देवी पत्नि बाबूलाल जाति मीना निवासी भराव बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा
2. कैलाश चन्द पुत्र बृजमोहन
3. गोविन्द सहाय पुत्र जगन्नाथ
   जाति महाजन निवासी बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा
4. उप तहसीलदार एवं उप पंजीयक महोदय बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.05.2018 बाबत नामान्तरकरण संख्या 49 वाके ग्राम भराव उपतहसील बहरावण्डा, तहसील सिकराय जिला दौसा

उपस्थिति :– 1. श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–:निर्णय:– दिनांक: 24.10.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसर नं. 171 रकबा 0.76 है0 जिसके पुराने ख.न. 11/1226 रकबा 03 बीघा वाके रामा भराव तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। यह भूमि रेस्पोडेन्ट नं. 01 व 03 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। इस भूमि का विक्रय जरिये इकरारनामा बाबत विक्रय दिनांक 06.02.2008 को रेस्पोडेन्ट नं. 02 के पिता मृतक बृजमोहन व रेस्पोडेन्ट नं. 03 द्वारा अपीलान्ट नं. 01 व अपीलान्ट नं. 02 लगा. 07 की माता गंगादेवी के नाम कर दिया गया। क्रेतागण ने भी मौके पर कब्जा 15 वर्ष पूर्व सम्भाल लिया इस प्रकार अपीलान्ट्स इस भूमि पर अर्सा दराज 20–22 साल

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्ट्स इस भूमि की खातेदारी अपने नाम से करावने के अधिकारी है। इस भूमि में रेस्पोडेन्ट नं. 02 का हिस्सा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में दर्ज रहा है। रेस्पोडेन्ट नं. 02 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 01 को दिनांक 12.04.2018 को अपने हिस्से की भूमि सम्पूर्ण का विक्रय जरिये विक्रय पत्र करा दिया। जबकि रेस्पोडेन्ट नं. 02 को ऐसा कोई अधिकार नही है। क्योंकि रेस्पोडेन्ट नं. 02 के मृतक पिता बृजमोहन द्वारा अपनी हिस्से की भूमि का इकरारनामा अपीलान्ट नं. 01 व अपीलान्ट नं. 02 लगा. 07 की माता गंगादेवी के नाम कर दिया तथा बेचान की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर ली थी। परन्तु रेस्पोडेन्ट नं. 02 द्वारा इस बात को नजर अंदाज करते हुए अपने हिस्से की भूमि की रजिस्ट्री रेस्पोडेन्ट नं. 01 के हक मे करा दी। और दिनांक 11.05.2018 को नामान्तरकरण खुलवा लिया। उक्त नामान्तरकरण सं. 49 दिनांक 11.05.2018 ग्राम भराव उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 01 लगा. 03 बावजूद तामील उपस्थित नही हुए। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की प्रश्नगत भूमि ख.न. 171 रकबा 0.76 है0 भूमि जिसके पुराने ख.न. 11/1226 रकबा 03 बीघा ग्राम भराव तहसील सिकराय को जरिये इकरारनामा बाबत विक्रय पत्र दिनांक 06.02.2008 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 02 के पिता मृतक बृजमोहन द्वारा अपीलान्ट नं. 01 व अपीलान्ट नं. 02 लगा. 07 की माता गंगादेवी के नाम विक्रय कर दिये जाने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट नं. 02 द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जरिये विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट नं. 01 को बेचान कर दिया गया एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन मु.न. 25/2018 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी नारायणी बनाम कैलाश में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा दिनांक 11.05.2018 को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित होने एवं इस आदेश की कॉपी अपीलान्ट्स द्वारा पटवारी हल्का बहरावण्डा को दिनांक 11.05.2018 को ही जाकर बता दिये जाने के उपरान्त भी पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 01 व 02 एवं 04 द्वारा मिली साज करते हुए उपखण्ड अधिकारी महोदय सिकराय के स्थगन आदेश की कोई परवाह नही करते हुए प्रश्नगत नामान्तरकरण भर दिया गया। और दिनांक 11.05.2018 को ही स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी में अमल दरामद भी कर दिया गया। नामान्तकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को द्रुतगति से अन्जाम दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि नामान्तरकरण की यह सम्पूर्ण प्रक्रिया जाल–साजी पूर्वक पूर्ण की गई है। अपीलान्ट्स इससे दुखी पक्षकार है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 49 दिनांक 11.05.2018 ग्राम भराव तहसील सिकराय को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.04.2018 के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं. 01 के नाम भरा जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा स्वीकृत किया गया है।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यद्यपि प्रश्नगत नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.04.2018 के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत किया गया हैं किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश दिनांक 11.05.2018 को जारी होने एवं इसकी जानकारी पटवारी हल्का को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त भी दिनांक 11.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। उक्त तथ्य को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण उप तहसीलदार बहरावण्डा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 49 दिनांक 11.05.2018 ग्राम भराव तहसील सिकराय को निरस्त किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार बहरावण्डा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण का पुनः परीक्षण कर एवं प्रश्नगत नामान्तरकरण से सम्बन्धित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रकरण की जानकारी कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official